District-Bhagalpur, despite the fact that on the grounds given by her, many people are availaing of freedom fighters' pension; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) During the period 1.1.1994 to 31.12.1998, pension was granted in 26 cases pertaining to Bhagalpur District in Bihar. Some cases are sub judice. There are no other pending cases. All other cases stand rejected once or more for various reasons, such as, non-fulfilment of prescribed eligibility criteria, non-submission of acceptable documentary evidence, etc.

Aggrieved with the rejection of their cases, the applicants keep filing review petitions directly or through VIPs. These are duly considered, in consultation with the concerned State Governments, where necessary, and the decisions are duly communicated to all concerned.

(c) and (d) The case of (Late) Shri Shiv Kinkar singh was rejected on the ground that the Non-availability of Records Certificate had not been verified by the State Government. In the absence of specific details of other cases in which pension is reportedly being availed of, it is not possible to furnish any comments on such cases.

देश में आतंकवादी संगठन

231. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः (क) क्या जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कौन-कौन से आतंकवादी संगठन क्रियारत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा कितने नागरिकों और कितने पुलिस तथा सैन्य कर्मियों की हत्याएं की गई और कितने आतंकवादी मुठभेड़ों में मारे गए; और

(ग) क्या सरकार आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित प्रमुख आंतकवादी संगठन सक्रिया हैं:—

जम्मू एवं कश्मीरः
(1) हिज्बल-उल-मुजाहिद्दीन
(2) हरकत-उल-मुजाहिद्दीन
(3) लस्कर-ए-तोइबा
(4) जम्मू एवं कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट
(5) अल-बुर्क
(6) तेहरीक-उल-मुजाहिद्दीन
(7) जल-जेहाद
(8) अल-उमर-मुजाहिद्दीन
(9) हिजबुल्लाह
(10) दुखत्रान-ए-मिलात

पंजाबः
(1) इंटरनेशनल सिख यूथ फेड्रेशन (ठेड)
(2) इंटरनेशनल सिख यूथ फेड्रेशन (तहेरू)
(3) इंटरनेशनल सिख यूथ फेड्रेशन (बिरदू)
(4) खालिस्तान कमांडो फोर्स (मजावर)
(5) खालिस्तान कमांडो फोर्स (जफ्फर)
(6) बब्बर खालसा इंटरनेशनल
(7) बब्बर खालसा

असमः
(1) यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम
(2) नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड
(3) बोडो लिब्रेशन टाइगर फोर्स

मणिपुरः
(1) पिपल्स लिब्रेशन आर्मी
(2) यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट
(3) पिपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेईपाक
(4) कंगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी
(5) कंगलेई योओल कन्बा लुप

नागालैंडः
(1) नागालैंड सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इजाक/मुईकाह)
(2) नागालैंड सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलॉग)

त्रिपुराः
(1) आल त्रिपुरा ट्राईबल फोर्स
(2) नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए सिविलयनों, सुरक्षा कर्मियों और उग्रवादियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

राज्य	वर्ष	सिविलयनों	सुरक्षाकर्मी	उग्रवादी
जम्मू कश्मीर	1996	1336	185	1209
	1997	938	186	1075
	1998	867	232	999
पंजाब	1996	1	—	3
	1997	54	2	1
	1998	—	—	—
असम	1996	302	87	62
	1997	285	85	167
	1998	531	73	180
मणिपुर	1996	96	62	84
	1997	206	106	135
	1998	67	60	89
नागालैंड	1996	165	56	121
	1997	119	43	221
	1998	46	16	75
त्रिपुरा	1996	140	31	7
	1997	205	50	10
	1998	214	25	14
मेघालय	1996	3	4	—
	1997	3	—	1
	1998	35	9	1
अरूणाचल प्रदेश	1996	4	—	—
	1997	9	1	—
	1998	2	—	3
कुल		5598	1313	4466

(ग) सरकार, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा को स्पष्ट से अस्वीकार करती है। यह शांति स्थिरता और विकास के लिए समस्याओं का समाधान बातचीत और विचार-विमर्श के द्वारा करने में विश्वास रखती है। मई, 1997 में पूर्वोत्तर राज्यों के अपने दौरे के दौरान और फिर जुलाई, 1997 में जम्मू एवं कश्मीर में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह पेशकश की थी कि सरकार उन गुमराह युवकों, के साथ बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार है जो जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादी रैंकों में और पूर्वोत्तर में भूमिगत तत्वों में शामिल हो गए हैं।

Refusal of States to Set up Units of NHRC

232. SHRI SHIBU SOREN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Bihar has refused the National Human Rights Commission's request to constitute its State unit;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Bihar reported 2,320 cases during 1996-97, the maximum number of cases of human rights violations, in the country;

(d) the details of action taken for regular review of cases of human rights violations in Bihar; and

(e) the details of other States that refused to set up State units of NHRC?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The Government of Bihar has not set up the State Human Rights Commission. It is of the view that the existence of the National Human Rights Commission (NHRC) at the national level makes it redundant to establish a similar authority at the State level too.

(c) It is true that Bihar reported 2,320 cases of violation of Human Rights during 1996-97. However, Bihar was not the State with the maximum number of such cases.

(d) The NHRC takes cognizance of all complaints and reviews all such cases of violation of Human Rights, regularly, as per prescribed procedure, under the Protection of Human Rights Act, 1993.

(e) Goa, Haryana, Maharashtra, Meghalaya, Tripura and NCT of Delhi have not set up State level Human Rights Commissions till now.

पंजीकृत ईसाई-मिशनरियां

233. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितनी पंजीकृत ईसाई मिशनरियां कार्यरत हैं;

(ख) उक्त ईसाई-मिशनरियों में से कितनी मिशनरियां विदेशी सहायता प्राप्त कर रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन मिशनरियों द्वारा कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी विदेशी सहायता का सही उपयोग किया जाए; और

(घ) राजस्थान में कुल कितनी ईसाई मिशनरियां कार्यरत हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार भारत में 1085 विदेशी मिशनरियां रह रही थी।

(ख) धार्मिक एसोसिएशनों सहित स्वयंसेवी एसोसिएशनों द्वारा, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे, गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में निहित है। वार्षिक रिपोर्टों (1996-97) की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में तीन विदेशी ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं।

सबरी मलार में भगदड़

234. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1999 के दौरान केरल में सबरी मलार में हुई भगदड़ की जांच कराई है